फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री नसीर मोहम्मद **बनाम** देबीलाल भंगी वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट...न. 45 सन् 2013

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज**	**नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए**
30.06.2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम बनेडा में पेंश हुई। वकील प्रार्थी शिविर में उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 618 के **आराजी सख्यां 1690 रकबा 02–02 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में विपक्षीगण संख्या 01, 02 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजीयात पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नही होने के कारण विपक्षी क्रम 01, 02 आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरित एंव खुर्द बुर्द करने एंव वादी को बेदखल करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है या आराजीयात को विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी द्वारा कथित तौर पर प्रार्थीगण की कयशुदा आराजीयात का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 618 के **आराजी सख्यां 1690 रकबा 02–02 बीघा** में राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01, 02 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाड़ा राज.	